वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इण्डस्ट्री बोम्बे बाजार मेरठ, के साथ प्रस्तावित बैठक दिनांक 07.09.2021

क्र०सं०	सन्दर्भ बिन्दु	आख्या
1	नये कनैक्शन के लिए तय मानकों का किया जाये पालन–लगभग सभी मामलो में शुरू में बहुत अधिक एस्टीमेट लगाये जाते हैं बाद मे लम्बी चर्चा अथवा बातचीत के बाद संशोधित किया जाता है कनैक्शन जारी करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का पालन किया जाना चाहिए।	निश्चित समय सीमा मे कनैक्शन जारी करने हेतु उ०प्र०पा०का०लि०, द्वारा ऑन लाइन पोर्टल झटपट (20 कि०वा० तक) व निवेश मित्र (20 कि०वा० से अधिक) की व्यवस्था लागू है जिसमे निस्तारण समयावधि निश्चित है व उक्त पोर्टलों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है संयोजन हेतु प्राक्कलन साइट की सर्वे के आधार पर नियमानुसार तैयार किये जाते है नियमानुसार तैयार किये प्राक्कलन को कम करने का हमेशा ही दबाव बनाया जाता है।
2	नये कनैक्शन लेने या कटवाने, लोड कम करने अथवा बढवाने में भी विलम्ब होता है, जिस कारण अद्यमियों को आवश्यक रूप से कठिनाई होती है इस प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जाना चाहिए। लोड कम कराने एवं स्थायी विच्छेदन जैसे मामलो में टोकन डिस्कनेक्शन शुल्क देय हो सकता है और कोई सिस्टम लोडिंग शुल्क नही लगाया चाहिए एवं एक निश्चित समय रेखा का पालन किया जाना चाहिए।	UPPCL की वेबसाईट का ऑनलाईन लोड बढ़ाने/घटानें हेतु आवेदन की सुविधा uppclenergy.in के My Connectiom tab के अन्तर्गत Urban/Rural service Request लिंक उपलब्ध है (संलग्न) जिसके माध्यम से नाम/पता/बिल/मोबाईल नं०/लोड संशोधन हेतु आवेदन किया जा सकता है सिस्टम लोडिंग चार्ज विभाग द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
3	**अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपोजिट की आवश्यकता–** पीवीवीएनएल ने हाल ही में 45 दिनों की बिलिंग के बराबर उपरोक्त सुरक्षा जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है। हम मासिक बिल चक्र का पालन करते है इसलिए मांगी गई राशि अत्यधिक है। पिछले एक साल से लिया गया बिलिंग औसत कई मामलों में गलत है। पहले से जमा की गई सही सिक्योरिटी राशि परिलक्षित नहीं होती है। उपरोक्त जमा पर ब्याज को समायोजित किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में स्पष्ट नकदी संकट को देखते हुए राशि के लिए किस्तें बनायी जानी चाहिए।	45 दिनों की बिलिंग के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा कराया जाना नीतिगत मामला हैं जमा सिक्योरटी पर लागू ब्याज दर से समायोजन प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। बिल में पूर्व जमा सिक्योरिटी धनराशि दर्शायी जाती है अन्तर होने पर खण्ड कार्यालय को सूचित कर अपडेट कराया जा सकता है।
4	आजकल बिना किसी अग्रिम सूचना के लाईन ट्रिपिंग और बिजली कटौती बहुत कम है जल्दी–जल्दी ट्रिपिंग होने से रबर,प्लास्टिक तथा कैमिकल की ईकाइयों मे कच्चा माल अत्यधिक खराब होता है जिस कारण उद्यमियों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसको रोकने के लिए कोई साधन नहीं है यहा तक कि नियमित मरम्मत और बुनियादी रखरखाव भी नहीं किया जाता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो एक अनिश्चित रूप से झुका हुआ बिजली का पोल आसानी से देखा जा सकता है। अतः ट्रिपिंग कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।	1– प्रत्येक नियोजित शटडाउन की सूचना दैनिक समाचार पत्रों ट्विटर, वाटसएप ग्रुप मे एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायी जाती है। अपरिहार्य परिस्थितियों (ऑधी तूफान/अज्ञात बाह्य एजेन्सी द्वारा) पोल लाईन क्षतिग्रस्त होने पर बाधित आपूर्ति को यथा सम्भव शीघ्र सुचारू किया जाता है। 2– दिल्ली रूड़की रोड पर रैपिड रेल के कार्य हेतु शट डाउन लेना पड़ता हैं किन्तु उक्त कार्य के दिल्ली रोड की औद्योगिक इकाइयों प्रभावित होगी, क्योकि 150 कि0मी0 भूमिगत केबिल नेटवर्क मे परिवर्तित किया जा रहा है। 3– आकस्मिक ब्रेकडाउन (पोल झुकना/क्षतिग्रस्त होना आदि) कार्यो हेतु 24X7 गैंग तैनात किया गया है। झुके हुए गले पोल निरन्तर बैल्डिंग कराकर दुरस्त किये जा रहें है। 4– ट्रिपिंग कम करने हेतु समाप्त सुधार कार्य (स्काडा सहित) Revamp स्कीम में सम्मिलित किये जा गये है।

5	नये उपभोक्ताओं के लिए लागू बिजली शुल्क और अन्य छूट स्वचालित रूप से उनके बिलों में माफ कर दी जानी चाहिए।	नयी औद्योगिक इकाई हेतु ED मे छूट आरम्भ करने हेतु सम्बन्धित विभाग जिला उद्योग केन्द्र विद्युत सुरक्षा निदेशालय का सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक है अन्य छूट जैसे देय तिथि से पूर्व भुगतान करने पर अनुमान्य छूट की व्यवस्था स्वतः बिल मे दी गयी है।
6	EDD-I कार्यालय मोहकमपुर और परतापुर के बीच कही भी दिल्ली रोड पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। अधिकांश उद्योग उपरोक्त क्षेत्रों में और उसके आसपास ही स्थित है और यह तर्कसंगत है कि ईडीडीआई का कार्यालय पास में स्थित होना चाहिए।	EDD-I खण्ड के कार्यक्षेत्र मे परतापुर के अतिरिक्त काजीपुर, हापुड रोड, लोहिया नगर, आदि भी सम्मिलित है। इस प्रकार खण्ड कार्यालय केन्द्र में स्थित है।
7.	टी०पी०एम०ओ० की पुनः स्थापना– प्रायः यह देखा गया है कि किसी क्षेत्र विशेष में फाल्ट की स्थिति में निवारण हेतु समस्त क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी जाती है, इससे उद्योगों का संचालन प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण टी०पी०एम०ओ० का प्रयोग ना करना है यदि टी०पी०एम०ओ० उपयोग में लिया जाये तो फाल्ट वाले क्षेत्र की विद्युत बन्द करके मरम्मत का कार्य किया जा सकता हैं। टी०पी०एम०ओ० एक अति आवश्यक उपकरण है अतः इसे कार्य में लाना अति आवश्यक है। यहॉ हम अवगत कराना चाहते है कि जनपद मुजफफरनगर में टी०पी०एम०ओ० पुनः स्थापित करा दिया गया है।	टी०पी०एम०ओ० स्थापन/प्रतिस्थापन का कार्य Revamp योजना मे सम्मिलित कराया जायेगा। साथ ही Revamp स्कीम SCADA योजना का क्रियान्वयन होने से विद्युत आपूर्ति की रिलायबिलिटी बढेगी वर्तमान में भी किसी परिवर्तक/LT लाइन पर कार्य करने हेतु परिवर्तक आइसोलेट कर ही कार्य कराया जाता है।
8.	विभाग में विद्युत उपकरणों की समुचित अर्थिंग एवं विद्युत सुरक्षा उपकरणों की स्थापना एवं विद्युत उपकरणों जैसे ओ०सी०बी०, ट्रान्सफार्मर कन्डक्टर वायर इत्यादि का निरन्तर रखरखाव परम आवश्यक है ताकि ब्रेकडाउन कम से कम हो। उक्त कारण से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने पर भी आपूर्ति बाधित हो जाती है तथा विद्युत की गुणवत्ता निम्न स्तर की हो जाती है।	अर्थिंग की समय–समय पर टेस्टिंग करायी जाती है व पुरानी/खराब अर्थिंग के स्थान पर नयी अर्थिंग पैनल/टान्सफार्म/डबल पोल यथा सम्भव करायी जा रही हैं। अर्थिंग के कार्य Revamp योजना मे सम्मिलित कराया गया है।
9.	नये 11 केवी एवं 33 केवी के सब–स्टेशनों की स्थापना तथा स्थापित सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्वि करने की अति आवश्यकता है। मोहकमपुर में 5 एमवीए के दो ट्रान्सफार्मर लगे हुये है उनमें से एक 5 एमवीए के स्थान पर 8 एमवीए के लिए एस्टीमेट गया हुआ है अतः विद्युत भार बढ़ाने के कारण 8 एमवीए के स्थान पर 10 एमवीए के टांसफार्मर की स्वीकृति दी जानी चाहिए।	मोहकमपुर उपकेन्द्र में 5 MVA के 2 परिवर्तक नही है बल्कि 10 MVA के 2 परिवर्तक स्थापित है साथ ही एक नया उपकेन्द्र (मोहकमपुर 2) Revamp स्कीम में प्रस्तावित किया गया है 11/.4 KV/ व 33/11 KV नये उपकेन्द्र/क्षमता वृद्वि से सम्बन्धित समस्त कार्य Revamp स्कीम में सम्मिलित किया गया है।
10	11 केवी/33 केवी लाईनों के नीचे जहां 440 की लाईन जा रही है वहॉ पर गार्डिंग नही हुई हैं, जिसके कारण आँधी आदि आने पर विद्युत तार टूटकर 440 लाईन पर गिरते है तथा लाईन फाल्ट हो जाता है जिससे औद्योगिक ईकाईयां बन्द हो जाती है और उद्यमियो को कठिनाई होती है। हमारा सुझाव है कि जहाँ पर गार्डिंग नही है वहा पर गार्डिंग कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि इन कारणो से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने पर भी बाधित रहती है।	गाडिंग सम्बन्धी/जर्जर कन्डक्ट बदलना/आवश्यकतानुसार एरियल बन्च कन्डक्टर लगना/भूमिगत केबिल से बदलना उक्त समस्त कार्य Revamp स्कीम में सम्मिलित किये गये है।

11	ब्रेक डाउन की स्थिति को ठीक करने मे बहुत समय लिया जाता है जिससे उद्यमियों को बहुत कठिनाई होती है। यदि उद्यमियों द्वारा टेलीफोन पर कम्पलेन्ट लिखाई जाती है तो बिल लाने की मांग की जाती है जोकि अनुचित है इससे केवल समय बर्बादी होती है। हमारा सुझाव है कि इसके लिए एक हेल्प डेस्क की स्थापना कर उसका टोल फ्री नम्बर सब–स्टेशन पर प्रदर्शित कर लिया जाये जिससे उपभोक्ता की शिकायत सम्बन्धित सब–स्टेशन पर त्वरित प्रसारित किया जा सकें। स्पष्ट आदेशों व नियमों की अनदेखी करते हुए बिजली की शिकायत करते समय पूर्व भुगतान की रसीद बिल के साथ मांगते है जोकि गलत है अतः इस सन्दर्भ में प्रभावी आदेश दिये जाने चाहिए।	शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री 1912 नं० उपलब्ध है जिसके द्वारा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही प्रत्येक जनपद का आफिशियल ट्विटर हैण्डिल (जैसे मेरठ का @PVVNLMeerut) बनाया गया है जो 1912 से लिंक है व प्रत्येक जनपद / डिस्कॉम मुख्यालय पर 24X7 सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है जो प्रत्येक शिकायत पर 15 मिनट मे संज्ञान लेकर सूचित करते है। जो एवं प्रत्येक शिकायत को दर्ज कर लगातार अनुश्रवण करते है। निस्तारण की शिकायत कर्ता से भी पुष्टि की जाती है आँधी तूफान में पेड गिरने अथवा किसी वाहन, अन्य एजेन्सी द्वारा लाईन क्षतिग्रस्त होने जैसी अपरिहार्य स्थिति में विद्युत आपूर्ति यथा सम्भव शीघ्र सुचारू करायी जाती है। 33 केवी लाइनो को वैकल्पिक रूप से पोषित करने हेतु नगर मे 7 स्थानो पर TPMO स्थापित किये गये है व अन्य उपकेन्द्रों का बैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्य Revamp स्कीम मे सम्मिलित है उपभोक्ता समूह की विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर बिल भुगतान नही पूछा जाता। नियमित बिल भुगतान करना उपभोक्ता उत्तरदयित्व है।
12	विभाग द्वारा निविदा में टर्न ओवर की शर्त एमएसएमआई के लिये अत्यधिक घातक हैं। इस शर्त से एमएसएमई को कोई कार्य नहीं मिलेगा और एमएसएमआई इकाईयां बहुत प्रभावित होगी। कुछ अन्य प्रदेशों में यह शर्त प्रदेश की ईकाईयों पर भी लागू की जाती है।	टर्न ओवर की शर्त ई–निविदा गाइड लाइन व विभागीय निदेशानुसार लगायी जाती हैं जो नीतिगत मामला है।
13	डेडीकेटेड फीडर की स्थापना राज्य सरकार की नीति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु की गई हैं परन्तु वहां पर भी दिन व रात्रि के समय 4 से 6 घण्टे की कटौती होती रहती है, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, इस कारण औद्योगिक में रात्रि क्षेत्रों मे रात्रि में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहद खराब होती जा रही है।	वर्तमान में 1 घण्टे से अधिक के किसी भी फीडर के व्यवधान का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है व औद्योगिक क्षेत्र मे कोई कटौती विभाग द्वारा नही की जाती हैं।
14	औद्योगिक आस्थानों में अधिकाश रविवार को रखरखाव के नाम पर कई घंटे आपूर्ति बन्द कर दी जाती है। इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए तथा यह निर्धारित प्रक्रिया सभी पावर स्टेशनों पर लागू होनी चाहिए। 3 घंटे से अधिक शटडाउन की स्थिति में अधीक्षण अभियन्ता की अनुमति लेने के पश्चात उस क्षेत्र को लिखित सूचना होनी आवश्यक है।	क्योंकि अधिकांश औद्योगिक इकाइयो में रविवार मे अवकाश रहता है अतः कभी–कभी भारत सरकार की रैपिड रेल योजना को ससमय पूर्ण करने हेतु रविवार को पूर्व नियोजित शटडाउन लिया जाता है। जिससे कार्य बाधित न हो / शीघ्र ही उक्त प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर प्रोजेक्ट के कारण की जा रही कटौती समाप्त होगी। अन्य अनुरक्षण कार्य आवश्यकतानुसार पूर्व सूचना देकर कराये जायेगे। 3 घण्टे से अधिक के शटडाउन हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदन आवश्यक कर दिया गया है।
15	उपभोक्तओं की जो सिक्योरिटी डिपोजिट है उस पर उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा बैंक दर से ब्याज देने का प्राविधान है जिसका बहुत सारे डिविजन अनुपालन नही कर रहे हैं। कृपया सभी डिविजन को यह निर्देश जारी किये जाये कि सिक्योरिटी पर रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित बैंक रेट के अनुसार ब्याज दिया जाये और यह वर्ष में दो बार बिजली के बिलों में समायोजित किया जाये और इस समायोजन की जानकारी उपभोक्ता को दी जानी चाहिए।	उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी पर लागू बैंक दर के अनुसार ही समायोजन दिया जाता है। शिकायत विशेष पर नियमानुसार कार्यवाही करायी जायेगी।
16	विद्युत बिलों में पावर फैक्टर नहीं दर्शाया जाता है जिस कारण उद्यमी को अपने पावर	बिलिंग सॉफ्टवेयर मे पावर फैक्टर दर्शाय जाने हेतु UPPCL प्रबन्धन को सूचित कर प्रयास किया जायेगा।

	फैक्टर के विषय में जानकारी नही हो पाती। पावर फैक्टर दिखाने वाले कॉलम को बिलिंग सॉफ्टवेयर में शामिल किया जाना चाहिए।	
17	कुछ कनेक्शनो के मीटरो में मोडम कार्य नहीं कर रहे है, जिसके कारण प्रत्येक माह मीटर की सील तोड़कर रीडिंग ली जाती है तथा पुनः सील लगा दी जाती है तथा कोई भी सीलिंग सार्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। इस कारण इन आस्थानों मे विभाग की चैकिंग की दशा मे टकराव होने का सदैव अंदेशा बना रहता है।	रीडिंग हेतु मीटर बाक्स खोले जाने व सील किये जाने की स्थिति मे सम्बन्धित को सीलिंग देने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
18	प्रदेश मे नये उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार व विद्युत बोर्ड द्वारा प्रथम 10 वर्षो में 7.5 प्रतिशत इलैक्ट्रीकसिटी ड्यूटी न चार्ज करने का प्राविधान है किन्तु कोई भी डिविजन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा अनुभाग–3 द्वारा एक अधिसूचना दिनाक 21. जनवरी 2010 को निर्गत की गई थी। कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।	उक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु जिला उद्योग केन्द्र के प्रमाण पत्र पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय से संस्तुति रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ED मे नियमानुसार छूट व ब्याज दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
19	विभागीय समाग्री क्रय करने में निविदा शुल्क अत्यधिक है जिसको कम करने की बहुत आवश्यकता है इसके साथ ही साथ जो उद्योग एमएसएमई एवं एनएसआईसी में पंजीकृत है उनसे निविदा शुल्क व जमानत राशि नहीं ली जानी चाहिए। यह प्राविधान प्रदेश की औद्योगिक नीति में भी हैं। इस सम्बन्ध में शासन के आदेश उपलब्ध है।	निविदा शुल्क नियमानुसार ही लिया जाता है व MSME/NSIC मे रजिस्टर्ड इकाईयों को निविदा शुल्क जमानत राशि में छूट दिये जाने सम्बन्धी कोई विभागीय आदेश नही है
20	एमएसएमआई एक्ट के अनुसार निगम द्वारा क्रय की गई सामग्री 45 दिनों के अन्दर भुगतान करने का प्राविधान है किन्तु विभाग द्वारा भुगतान 8 से 12 माह की लम्बी अवधि में किया जाता है जिससे उद्यमी को आर्थिक हानि होती है तथा विभागीय बैलेंसशीट में निर्धारित समयावधि लम्बित भुगतान पर ब्याज का प्राविधान नहीं किया जाता हैं। विभाग द्वारा उद्यमियों को भुगतान न होने के कारण छोटा उद्यमी विभाग को समय पर माल नहीं दे पाता। विभाग भुगतान करने पर ब्याज देने के बजाय उससे 10 प्रतिशत तक लेट डिलीवरी पैनल्टी लेने लगता है। इसमें तुरन्त प्रभाव से सकारात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।	भुगतान ससमय किया जाना विभाग की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। ससमय भुगतान हेतु ERP प्रणाली लागू की जा रही है जिससे भुगतान की स्थिति में सुधार होगा।
21	प्रदेश की इकाईयों को विभागीय क्रय में वरीयता देने के आदेश शासन द्वारा निर्गत किये गये है परन्तु इसका क्रियान्वयन विभाग कतई नहीं हो रहा है, जो आवश्यक हैं। यहॉ उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कुल सरकारी क्रय का 20 प्रतिशत एमएसएमई के क्रय करने की नीति निर्धारित की गई है।	सामग्री क्रय करने हेतु ई–निविदा व GEM पोर्टल प्रणाली अपनायी जा रही है GEM Portal मे स्वतः चयन की व्यवस्था है व ई–निविदा प्रणाली पूर्णत पारदर्शी है Lowest Bidder से नियम/शर्तो के आधार पर एजेन्सी चयन की जाती है।
22	औद्योगिक क्षेत्रों में जर्जर लाईनों को बदलने एवं उद्यमियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए।	उद्यमियों की शिकायतकर्ता के त्वरित निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी खण्डवार नामित कर सूचित किया जायेगा।
23	एक पावर उपभोक्ता सलाहकार कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न एसोसियेशन व चैम्बर्स के प्रतिनिधि रखे जाये एवं इस कमेटी की बैठक हर तीसरे माह में	सलाहकार कमेटी गठन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला/मण्डल स्तर पर उद्योग बन्धु समिति गठित है जिसके अध्यक्ष क्रमशः जिलाधिकारी/आयुक्त महोदय नामित हैं व नियमित मासिक बैठक आयोजित की जाती है

	एक बार आपकी अध्यक्षता में हो तो विद्युत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।	फिर भी त्रैमासिक बैठक करना अच्छा सुझाव है। इस पर कार्यवाही की जायेगी।
24	हमारा यह भी सुझाव है कि गाजियाबाद/नोयडा, हापुड मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व खुर्जा (सिकन्दराबाद व बुलन्दशहर) के लिए अलग-अलग सलाहकार समितिया बनायी जाये जिनकी अध्यक्षता वही के उच्च अधिकारी करें एवं स्थानीय समस्याओ के बारे मे इन समितियों मे चर्चा हो। इससे अनेक दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी।	प्रत्येक वितरण मण्डल मे अधीक्षण अभियन्ता (वि०), की अध्यक्षता मे पावर सलाहकार समिति का गठन कराया जायेगा।
	मुजफ्फरनगर से प्राप्त समस्याऐं।	
1	नये औद्योगिक कनैक्शन के लिए आवेदन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिए जा रहे है। जबकि भार बढ़ाने सम्बन्धित आवेदन के लिए यह सुविधा न होने के कारण उद्यमी का उत्पीड़न हो रहा है।	ऑनलाइन लोड बढ़ाने/घटाने हेतु आवेदन की सुविधा upenergy.in ij web self service (Wss) के माध्यम से my Conn tab के अन्तर्गत Rural / Urban Service request लिंक पर उपलब्ध है जिसके द्वारा नाम/पता/बिल/मोबाईल नं०/लोड संशोधन हेतु ऑन लाईन आवेदन किया जा सकता है।
2.	मुजफ्फरनगर मे औद्योगिक उपभोक्ताओं के Pilferproof metering Cubicle सील होने के बावजूद मीटर रूम मे ताला लगा दिया गया है और उपभोक्ता को अपना मीटर भी देखने नही दिया जा रहा है।	नियमानुसार मीटर रूम तक सीधी पहुँच रखने हेतु मीटर रूम की चाबी परीक्षणशाला स्टॉफ के पास रहती है। उपभोक्ता चाहे तो डबल मीटर की रीडिंग देख सकता है व MRI रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।
3	विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से बिल न लिया गया टीसीएस का पैसा इनकम टैक्स विभाग मे जमा नहीं कराया गया है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा 01.07.21 से लागू टीडीएस किस प्रकार से लागू किया जायेगा इस बारे मे विभागीय अधिकारियों ने अनभिज्ञता जाहिर की है।	जमा सिक्योरिटी पर ब्याज देने हेतु नियमानुसार प्राप्त TDS की धनराशि आयकर विभाग में खण्ड द्वारा जमा करायी जा रही है जो उपभोक्ता फार्म-26 मे प्रदर्शित होती है। शिकायत विशेष पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4	ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के बिल में मासिक समायोजन को एक माह बाद किया जा रहा जबकि मेरठ मे सम्बन्धित माह मे ही समायोजन किया जा रहा है। बिलिंग साइकिल में परिवर्तन से समस्या का समाधान बताया गया है।	ओपन एक्सेस के बिल मे मासिक समायोजन यथा शीघ्र कराने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।
5	मुजफ्फरनगर में विद्युत वितरण डिवीजनों के कार्यक्षेत्र मे अनेक अनियमितताएं है अतः पुर्नगठन की आवश्यकता है।	मुजफ्फरनगर मे वितरण खण्डो का पुनर्गठन 4 वर्ष पूर्व कर दिया गया था विभागीय नीति के अनुसार उपभोक्ता सं० मे वृद्वि पर भविष्य मे पुन किया जायेगा।
	हापुड से प्राप्त समस्याऐं।	
1	धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क बनने के कारण 11 केवीए की लाइन काफी नीचे हो गयी है। जिससे लाईन की चपेट मे आने से कभी भी जान माल का नुकासान हो सकता है। कृपया 11 केवीए की लाईन को शीघ्र ऊँचा कराया जाये।	लाईन ऊँची करने में आंकलित व्यय भुगतान करना सम्बन्धित सड़क निमार्ण करने वाले विभाग का उत्तरदायित्व था फिर भी उक्त कार्य को Revamp प्लान में सम्मिलित किया जा रहा है।
2	धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अघोषित विद्युत कट लगातार किया जा रही है। दिन मे 6-7 बार जाना आम बात है और विद्युत अधिकारियो द्वारा सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है।	धीरखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु समस्त कार्य Revamp स्कीम में सम्मिलित कर कार्य कराया जायेगा जिससे आपूर्ति में सुधार होगा।
3	2020-21 की सिक्योरिटी धनराशि पर अभी तक ब्याज समायोजित नहीं किया गया है।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, हापुड़ की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई माह के बिलो मे जमा सिक्योरिटी पर ब्याज समायोजित कर दिया गया है।